तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./4030 /2022 / जयपुर मालीराम वगैरह बनाम अशोक कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
06-10-2022	**एकल–पीठ** **श्री सत्तार खां, सदस्य** **उपस्थित :** श्री समीर अहमद, अभिभाषक प्रार्थी श्री गिरीश पारीक, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी अशोक ने न्यायालय तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया बाबत ग्राम मोरीजा में अप्रार्थी/वादी की खातेदारी भूमि ग्राम मोरीजा, पटवार मण्डल, मोरीजा–ए,तहसील, चौमूं में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 1359 रकबा 0.11 है0, 1370 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.19 है0 है। अप्रार्थी उक्त भूमि का उपयोग/उपभोग करता आ रहा है तथा कुछ दिनों से अप्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। जिस पर तहसीलदार चौमूँ जिला जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 14–6–2022 के द्वारा मौके पर अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सवर्ण के सदस्यों का कब्जा सिद्ध मानते हुए प्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 को ग्राम मोरीजा–ए के खसरा नम्बर 1359 रकबा 0.11 है0, 1370 रकबा 0.08 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.19 है0 से बेदखल कर अप्रार्थी अशोक को खातेदारी भूमि का कब्जा दिलवाने का आदेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के यहां अपील प्रस्तुत की। जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 12–7–2022 के द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–2022 को विधिसम्मत मानते हुए अनुसूचित जनजाति के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./4030 /2022 / जयपुर मालीराम वगैरह बनाम अशोक कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	व्यक्ति की रिकार्डेड भूमि के किसी भी भू–भाग पर अथवा किसी भी दिशा में कितनी भी भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर उसके विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित मानते हुए अपील अपीलान्टस खारिज की। जिससे व्यथित होकर हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उभय पक्ष की बहस निगरानी के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी बाबत एकपक्षीय रूप से दिनांक 23–11–2021 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रार्थीगण को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया और ना ही मौके पर जाकर कोई रिपोर्ट तैयार की गई बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर तहसील कार्यालय में बैठ कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई जिसके बाबत प्रार्थीगण ने तहसीलदार के समक्ष ऐतराज प्रस्तुत किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार का कोई विधि सम्मत आदेश पारित नहीं किया बल्कि उसके आधार पर ही गलत रूप से कब्जा मान कर निर्णय पारित कर दिया गया जो अविधिक है। उपरोक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण लगभग 60–70 वर्षों से मौके पर रिहायशी मकान बना कर निवास करते चले आ रहे है तथा मौके पर पुख्ता मकान रहवास चाराग्रह आदि बने हुए है परन्तु उस किसी का भी उल्लेख हल्का पटवारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में नहीं है इसलिए न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्य ही नहीं आए उसके बावजूद भी अंतिम रूप से निर्णय पारित किया जाना अविधिक है। अधिनस्थ न्यायालयों ने केवल इस बिंदु पर ही निर्णय पारित कर दिया है कि 183बी की समरी कार्यवाही है तथा गैर सायलान प्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है जबकि 183बी में दिए गए प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुए अधिनस्थ न्यायालयों ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। इसलिए निगरानी को विचारार्थ ग्रहण की जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./4030 /2022 / जयपुर मालीराम वगैरह बनाम अशोक कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये अभिकथन किया कि ग्राम मोरीजा तहसील चौमू स्थित आराजी ख0नं0 1370 रकबा 0.08 हेक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 हेक्टेयर भूमि उसकी रिकार्डेड खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। प्रार्थी द्वारा कुछ दिनों पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बार–बार कहने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने से क्षुब्ध होकर अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर संज्ञान लेते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। प्रार्थीगण जो कि सामान्य जाति के व्यक्ति है का वादग्रस्त भूमि के आंशिक भू–भाग पर अतिक्रमण होने के कारण पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका तैयार कर रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को पेश की गई। है। अतिक्रमित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार–काश्तकार है, जिस पर प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः निगरानी चलने योग्य नहीं है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी के ग्राहयता तथा स्थगन के प्रश्न पर सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ विचारण न्यायालय के आलोच्य आदेशों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रमुखतया पटवारी की रिपोर्ट पर आधारित है। पटवारी रिपोर्ट से पटवारी के मौके पर जाना तथा माप–चौक कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना जाहिर नहीं होता है बल्कि पटवारी द्वारा गांव के मौतबिरानों की पुछताछ के आधार पर अतिक्रमण माना है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के रिकार्ड की पूर्णजांच–परख उपरान्त ही अतिक्रमण होने या नहीं होने के निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है। अतः हस्तगत निगरानी में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से विचारार्थ ग्रहण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निगरानी / टी.ए./4030 /2022 / जयपुर मालीराम वगैरह बनाम अशोक कुमार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	स्थगन प्रार्थनापत्र आरजी तौर पर स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–7–2022 तथा तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14–6–2022 की पालना मण्डल की आगामी नियत दिनांक तक स्थगित रखते हुये विवादित भूमि की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने के लिये उभय पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली दिनांक 27–10–2022 को किसी भी एकल पीठ के समक्ष पेश हो। अहकाम दस्ती जारी हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(सत्तार खां)** **सदस्य**	